न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान गफ्फूर मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार

वाद–पत्र संख्या – 122/2024

निर्णय दिनांक 09.06.2025

गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स जाति कसाई निवासी सर्किल के पास तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वकील वादी श्री साजिद खान द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336, हैक्ट, में से 1/7 हिस्सा में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू में वादी का नाम गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स की जगह भूरा पुत्र रहीमवक्स गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336, हैक्ट,में वादी का नाम गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स व भूरा पुत्र रहीमबक्स दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वकील वादी की ओर से वादी व मोहम्मद बाबू हुसैन पुत्र मोहम्मद यासीन जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 11 जामा मस्जिद के पास तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य वादी पी.डब्लू. 01 का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम माजीद खान काजी पुत्र मोहम्मद ईशाक काजी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम माजीदखान पुत्र ईसाक अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336, हैक्ट, के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **भूरा पुत्र रहीमबक्स Delete** कर इसके स्थान पर **गफ्फूर मोहम्मद पुत्र रहीम बक्स** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......09/06/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)